



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर


श्रीमती अंबरी

बनाम

श्री सुखदेव व अन्य

किस्म मुकदमा 40 9 R 9 CPC

मु0न0 41 सन 18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
16-10-19 05-12-2019	<p>प्राथमिक बार एसो. ने कार्य स्थगित रखा ...सा.पधारें हैं। मिसल ...मयत कार्यवाही हेतु दिनांक...20/12/19... ...में पेश हो।</p> <p>प्राथमिक श्रीमती अंबरी पति श्री देवाराज के प्रार्थना-पत्र वास्तु वाद/प्रार्थना-पत्र विद्वा व मिसल तलब करने का अस्तुत करने पर प्रार्थना-पत्रवाली द्वारा तलब की गई। प्राथमिक ने यह वेस्टोरेशन का प्रार्थना-पत्र झागे नहीं चलाने के कथन दिए। प्रार्थना-पत्र प्राथमिक को पढ़कर सुनाया गया। प्राथमिक ने सुन व समझ कर प्रार्थना-पत्र पर झोगे कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने का विवेक किया। इसका कारण की ड्यूटी विधानी प्राथमिक द्वारा अंकित की गई। प्रार्थना- पत्र व प्रार्थना-पत्रवाली का अल्लोकन किया गया। बाद अल्लोकन लोक अरमत की शकना से शकित किया जाता है। प्रार्थना-पत्र वास्तु वेस्टोरेशन पर कार्यवाही इसी स्तर पर जाए की जाकर पुकरता शकित किया जाता है। प्रार्थना-पत्रवाली फैसल नुमांर डीकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(जसदीतसिंह संघू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p>	<p>मे यह प्रार्थना-पत्र शामल नहीं चलाना चाहते हैं। मेरे मुन समझ कर अस्तुत निराक कर रहे हैं श. वि. अंबरी</p> <p></p> <p>श्रीमती अंबरी</p> <p>श्री सुखदेव व अन्य</p> <p>अवधि</p>

